भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. +*74

सोमवार, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

तीर्थ केन्द्रों की पहचान

+*74. डॉ. उमेश जी. जाधव:

श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने तीर्थ केन्द्रों की राज्य-वार पहचान करने के लिए राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु कोई प्रयास किए हैं ताकि इनमें से कुछ केन्द्रों को मंत्रालय की प्रसाद योजना में सम्मिलित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार को महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की पहचान करने के लिए कोई संदेश भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार विश्व की धार्मिक एवं आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भारत की पहचान को बनाए रखने के लिए कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में धार्मिक महत्व के स्थलों की पहचान करने का है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

तीर्थ केन्द्रों की पहचान के संबंध में दिनांक 07.02.2022 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. +*74 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

(क) और (ख) : महोदय, धार्मिक/तीर्थयात्रा स्थलों का विकास और रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है । तथापि पर्यटन मंत्रालय अपनी प्रशाद योजना के अंतर्गत योजना दिशानिर्देशों के अनुरुप राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर ऐसे स्थानों में तीर्थयात्रा पर्यटन अवसंरचना के सृजन के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है ।

(ग) और (घ) : पर्यटन मंत्रालय ने अपने दिनांक 27.04.2018 के पत्र द्वारा कर्नाटक की राज्य सरकार से प्रशाद योजना के तहत शामिल किए जाने हेतु गंतव्य के नाम की सूचना देने का अनुरोध किया था । कर्नाटक की राज्य सरकार से प्राप्त नामांकन के अनुसार चामुंडेश्वरी देवी, मैसूर को तीर्थयात्रा पर्यटन अवसंरचना के विकास संबंधी योजना के तहत पहले ही शामिल कर लिया गया है । तीर्थस्थलों की पहचान और प्रशाद योजना के अंतर्गत परियोजना का अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है, जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध प्राप्त होने पर शुरू की जाती है ।

*****